

पत्रांक /विधि-अनु०/ आयु०क०उत्तरा०/वाणि०कर०/०९-१०/दे०दून।  
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
(विधि -अनुभाग)  
देहरादून :: दिनांक 23 सितम्बर 09

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०)वाणिज्य कर,  
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,

शासन द्वारा अधिसूचना सं०-722/2009/यू०ओ० 22/XXVII (8)/  
2009/दिनांक 17.09.2009 जारी करतें हुये अनुसूची-1 के क्रमांक 44 में संशोधन  
से अवगत कराया गया है।

शासन द्वारा जारी उक्त अधिसूचना की छायाप्रति इस निर्देश के  
साथ प्रेषित है कि शासन के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना  
सुनिश्चित करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।


(वी०के०सक्सेना)  
प्रभारी,कमिश्नर,वाणिज्यकर  
उत्तराखण्ड

पृ०प०सं० 2598 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन  
रूद्रपुर।
- 5- एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/प्रवर्तन वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य०) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/  
हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त  
प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के  
पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का  
कष्ट करें।
- 7- ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

- 8- ज्वाइंट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।
- 9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 10- श्री राकेश वर्मा, महासचिव, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ 2/5 आशीर्वाद इनकलेव देहरादून।
- 11- पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी०ओ०यू० परियोजना कार्यालय आई०आई०टी० रुडकी।
- ✓ 12- संख्या-अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दे।
- 13- इन्टावैट ईन्फो प्रा० लि० 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर० सिधुआ मार्ग मुम्बई-400001।
- 14- नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड गाजियाबाद।
- 15- नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
- 16- लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
- 17- डिप्टी कमिश्नर (उ०न्याय०कार्य) वाणिज्य कर नैनीताल।
- 18- दी होलसेल डीलर्स एसो० 14, आढ़त बाजार देहरादून।
- 19- प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो० 222/5 गांधी ग्राम, देहरादून।
- 20- कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 21- विधि-अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

  
23.09.09  
प्रभारी कमिश्नर, वाणिज्य कर  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

सं० /2009/यू०ओ० 22/XXVII(8)/2009

दिनांकः देहरादून :: 17 सितम्बर, 2009

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपटित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01-08-2009 से प्रभावी उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-1 के क्रमांक 44 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्-

"निम्न लिखित रसायनिक उर्वरकों का पौटाश एवं फॉस्फेटिक कम्पोनेन्ट-

(1) डी०ए०पी० (18:46:0), (2) एम०ओ०पी०, (3) एस०एस०पी० (4) एन०पी०के० (12:32:16) / (20:20:0) / (15:15:15) / (23:23:0) / (14:35:14) / (20:20:10) / (10:26:26)"

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० 722/2009/यू०ओ० 22/XXVII(8)/2009 तददिनांक।


प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


3-गार्ड फाईल हेतु/ एन०आई०सी०।

5188  
23-9-09

  
अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर

New Vigayapti/Notification No. 722/2009/Dehra Dun

आज्ञा से,  
  
(सी०एस०सेमवाल)  
अपर सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification NO. 722 /2009 / U.O. 22 / XXVII(8)/2009 dated 17 September, 2009 for general information.

Uttarakhand Shashan  
UTTARAKHAND  
NO. 722 /2009 / U.O. 22 / XXVII(8)/2009  
Dehradun :: Dated: 17 September, 2009

**Notification**


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from 01-08-2009, the following amendment in Schedule- I of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005.

**Amendment**

In Schedule- I, for the existing entry at serial no. 44, the following entry shall be substituted; namely-

"Potash and phosphatic components of the following chemical fertilizers-  
(1) D.A.P. (18:46:0) (2) M.O.P. (3) S.S.P. (4) N.P.K (12:32:16) / (20:20:0) / (15:15:15) / (23:23:0) / (14:35:14) / (20:30:10) / (10:26:26)"



(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY FINANCE